

माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

शासनादेश संख्या/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005 के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

क्र० सं०	शुल्क का नाम	कक्षा 11 व 12	कक्षा 09 व 10	दर	अन्य विवरण(शासनादेश का विवरण जिसके आधार पर सम्बन्धित शुल्क की दरों का पुनरीक्षण हुआ)
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षण शुल्क				शा० सं०/909/XXIV-3/13/02(58)2013 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-03 जून 2013
	कला एवं वाणिज्य वर्ग	25	20	मासिक	
	विज्ञान वर्ग	30	20	मासिक	
2	विलम्ब दण्ड	0	0	समाप्त	शासनादेश संख्या/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
3	अनुपस्थित दण्ड	0	0	समाप्त	
4	मंहवाई शुल्क	1	1	मासिक	
5	विकास विकास शुल्क	8	5	मासिक	
6	विज्ञान शुल्क	5	2	मासिक	शा० सं०-380 के अनुसार विज्ञान शुल्क कक्षा-09 व 10 में 02.00 एवं कक्षा- 11 व 12 में 04.00 था
7	रेडक्रास शुल्क	1	1	मासिक	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
8	क्रीडा शुल्क	3	3	मासिक	21 नवम्बर 2005 के अनुसार कक्षा 09 से 12 तक 02.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
9	स्काउट शुल्क	2	2	मासिक	शा० सं०/01/XXIV-5/ शिक्षा अनुभाग-5, देहरादून, दिनांक-30 मार्च, 2011
10	प्रगति पत्र	2	2	वार्षिक	शा० सं० 21-11-2005 के अनुसार कक्षा 09 व 10 में 1.00 एवं 11 व 12 में 1.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
11	पुस्तकालय/वालनालय	10	10	वार्षिक	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
12	गृह परीक्षा शुल्क	15	12	छमाही	शा० सं० 21-11-2005 के अनुसार कक्षा 09 व 10 में 10 एवं 11 व 12 में 12 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
13	निर्धन छात्र निधि शुल्क	3	3	छमाही	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
14	जलपान शुल्क	3	3	छमाही	21 नवम्बर 2005 के अनुसार कक्षा 09 से 12 तक 02.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
15	श्रव्य-दृश्य शुल्क	2	2	छमाही	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005
16	वाहन शुल्क				शासनादेश संख्या/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005(वर्तमान में यह शुल्क नहीं लिया जाता है, न लिये जाने का शासनादेश अज्ञात)
	छात्राओं हेतु	5	5	मासिक	
	अध्यापकों हेतु	50	0	मासिक	
17	विद्युत शुल्क	2	2	छमाही	21 नवम्बर 2005 के अनुसार कक्षा 09 से 12 में 02.00 रुपये था वर्तमान शासनादेश अज्ञात
18	पत्रिका शुल्क	2	2	वार्षिक	शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005(इस विद्यालय में नहीं लिया जाता है।)
19	भूगोल शुल्क	5	0	मासिक	शासनादेश अज्ञात
20	कम्प्यूटर शुल्क	10	10	मासिक	शासनादेश अज्ञात
21	बोर्ड परीक्षा अंक पत्र शुल्क (केवल-कक्षा-10 एवं 12 के छात्रों से)	5	5	वार्षिक	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा समन्वय (नैनीताल) के बोर्ड परीक्षा शुल्क के अर्न्तगत अंक पत्र हेतु कक्षा-10 एवं 12 के छात्रों हेतु 10.00 रु०/छात्र लिये जाने का प्रावधान है। जिसमें कि 05.00 रु०/छात्र विद्यालय स्तर पर जिसका प्रयोग नामावली तथा संख्या सूचक चक बनाने एवं प्राप्तांक प्रदान कराने की प्रक्रिया में डाक-व्यय तथा लेखन सामग्री आदि मदों में व्यय हेतु किया जायेगा।
22	नवीन पंजीकरण (कोषागार शुल्क)	1	1	-	शासनादेश अज्ञात(विद्यालय में प्रथम बार प्रवेश लेने पर)
23	पुनः प्रवेश (कोषागार शुल्क)	5	5	-	शासनादेश अज्ञात(कक्षा से टी०सी० निर्गत के उपरान्त पुनः प्रवेश लेने पर)
24	छात्र परावर्तन (कोषागार शुल्क)	1	1	-	शासनादेश अज्ञात(टी०सी० निर्गत करने पर कक्षा-06 से 12 तक)
25	विद्यालय अनुदान निधि	9	9	-	शासनादेश अज्ञात(नवीन प्रवेश/पुनः प्रवेश/टी०सी० निर्गत करने पर)

नोट:-क्र० सं०-01 से 18 तक के शुल्क का विवरण शा० सं०/380/XXIV-3/ शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून, दिनांक-21 नवम्बर, 2005 के पत्र में निहित है।

उक्त शासनादेश 21 नवम्बर, 2005 में कला शुल्क, पर्यावरण, भूगोल, नवीन प्रवेश, पुनः प्रवेश, छात्र परावर्तन(टी०सी० निर्गत शुल्क) के शुल्क की अंकना नहीं है।

1	शिक्षण शुल्क (एस०सी०/एस०टी०)	50 प्रतिशत निर्धारित शुल्क का एवं सभी छात्राओं हेतु शुन्य।
2	मंहवाई शुल्क(एस०सी०/एस०टी०)	शुन्य
3	विकास शुल्क(एस०सी०/एस०टी०)	शुन्य

शासनादेशों एवं पत्रों में प्राप्त अंकना के आधार पर।

एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन उत्तराखंड

EDUCATIONAL MINISTERIAL OFFICERS ASSOCIATION UTTARAKHAND

समस्त साथियों को अवगत करना है कि वेबसाइट पर सर्व प्रथम employee



Call Us Now On +919429691401

राजकीय विद्यालयों में लिए जाने वाले शुल्क का विवरण

क्रं	शुल्क का नाम	कक्षा	कक्षा	कक्षा	
		11 व 12	9 व 10	1 से 8	दर
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षण शुल्क कला एवं वाणिज्य' वर्ग	25.00	20.00	0.00	मासिक
2	शिक्षण शुल्क विज्ञान वर्ग	30.00	20.00	0.00	मासिक
3	महंगाई शुल्क	1.00	1.00	0.00	मासिक
4	विकास शुल्क	8.00	5.00	0.00	मासिक
1	विज्ञान शुल्क	5.00	2.00	0.00	मासिक
2	रेडक्रॉस	1.00	1.00	0.00	मासिक
3	क्रीडा	3.00	3.00	0.00	मासिक
4	स्काउट गाइड	2.00	2.00	0.00	मासिक
5	प्रगति पत्र	2.00	2.00	0.00	वार्षिक
6	वचनालय	10.00	10.00	0.00	वार्षिक
7	गृह परीक्षा	15.00	12.00	0.00	छमाही
8	निर्धन छात्रनिधि	3.00	3.00	0.00	छमाही
9	जलपान	3.00	3.00	0.00	वार्षिक
10	श्रव्य-द्रश्य	2.00	2.00	0.00	मासिक
11	विद्युत	2.00	2.00	0.00	छमाही
12	पत्रिका	2.00	2.00	0.00	वार्षिक
1	शिक्षण शुल्क(एस०टी०/एस०सी०)	50 प्रतिशत निर्धारित शुल्क का छात्राओं के लिए शुन्य			
2	महंगाई शुल्क(एस०टी०/एस०सी०)	शुन्य			
3	विकास शुल्क(एस०टी०/एस०सी०)	शुन्य			

Site designed, developed and hosted by : VIKAS DABRAL

Design: EDUCATIONAL MINISTERIAL OFFICERS UTTARAKHAND

माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण

पत्रांक संख्या 380/XXIV-3/2005 शिक्षा अनुभाग-3, देहरादून दिनांक 21 नवम्बर 2005 के अनुसार बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले शुल्क की दरों का पुनरीक्षण निम्न प्रकार है-

क्र० सं०	शुल्का का नाम	कक्षा 11-12		कक्षा 9-10		कक्षा 7-8		कक्षा 6		अन्य
		वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	
1	शिक्षण शुल्क									
	कला एवं वाणिज्य	20.00	20.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
	विज्ञान वर्ग	25.00	25.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
2	विलम्ब दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
3	अनुपस्थित दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
4	मंहगाई शुल्क	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	मासिक
5	विकास शुल्क	8.00	8.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	मासिक
6	विज्ञान शुल्क	3.50	4.00	1.50	2.00	-	-	-	-	मासिक
7	रेडक्रास	0.15	1.00	0.15	1.00	0.10	1.00	0.10	1.00	मासिक
8	क्रीड़ा	0.40	2.00	0.30	2.00	0.20	1.00	0.20	1.00	मासिक
9	स्काउट गाइड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	मासिक
10	प्रगति पत्र	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	वार्षिक
11	पुस्तकालय/वाचनालय	8.00	10.00	8.00	10.00	4.00	0.00	4.00	0.00	वार्षिक
12	गृह परीक्षा	8.00	12.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	छमाही
13	निर्धन छात्र निधि	1.00	3.00	1.00	3.00	0.10	2.00	0.10	2.00	छमाही
14	जलपान	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	छमाही
15	श्रव्य दृश्य	0.10	2.00	0.10	2.00	0.10	1.00	0.10	1.00	छमाही
16	वाहन शुल्क छात्राओं हेतु	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	मासिक
	अध्यापकों हेतु	15.00	50.00	-	-	-	-	-	-	मासिक
17	विद्युत	1.50	2.00	1.50	02.00	1.50	0.00	1.50	0.00	छमाही
18	पत्रिका	1.50	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वार्षिक

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड भारत स्काउट्स एवं गाइड्स
प्रादेशिक, मुख्यालय, देहरादून।

मा0 शिक्षा अनुभाग- 5

देहरादून: दिनांक 30 मार्च, 2011

विषय:- बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से
लिये जाने वाले स्काउट गाईड शुल्क की दरों का निर्धारण/पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सं0/उ0भा0स्का0गा0/3043/2010-11, दिनांक 15 दिसम्बर, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिये जाने वाले स्काउट शुल्क की दरों में पुनरीक्षित/निर्धारण करते हुये कक्षा 1 से 12 तक ₹ 2 (दो रुपये मात्र) प्रति विधार्थी प्रति माह स्काउट शुल्क लिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 380/xxiv-3/2005, दिनांक 21 नवम्बर, 2005 के साथ संलग्न विवरण तालिका के क्रमांक 9 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0प0संख्या 42*(XIP) XXVII (3) 10-11, दिनांक 28 /3/2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीया,
(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या (1)/xxiv-5/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
- 3- निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
- 4- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमाऊँ/गढ़वाल।
- 5- समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 7- वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
अनुसचिव।



सेवा में,

निविदा

19/6/13

19/6/13

1. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. समस्त जिला शिक्षाधिकारी (बेसिक/
माध्यमिक), उत्तराखण्ड।

पत्रांक:

रा0प0नि0/ 463 /07-RTE/2013-14 दिनांक 11 जून, 2013

विषय:

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत
प्रारम्भिक शिक्षा (कक्षा-1 से 8 तक) के छात्र/छात्राओं से शुल्क न लिये
जाने एवं शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-9 से 12 तक के
विद्यार्थियों के शिक्षण शुल्क की दरों के पुनरीक्षण/वृद्धि किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या-444/XXIV(1)/2013-258/2012
दिनांक 31 मई, 2013 एवं शासनादेश संख्या-909/XXIV-3/13/02(581)2013 दिनांक 03 जून,
2013 की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित हैं कि पत्रानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का
कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(राधिका झा)

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृ0सं0: रा0प0नि0/ 463 /07-RTE/2013-14 तददिनांक।
प्रतिलिपि: सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(राधिका झा)

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी मैनीमाल।

पृ0सं0 2309/10 विविध शुल्क 2013-2014 दिनांक 19-6-2013

- उपरोक्त पत्र के प्रति समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों जसपद मैनीमाल को इस
आशय से प्रेषित है अपने अधीनस्थ सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य/ प्रधानाचार्या/ प्रधानाध्यापक
को संलग्न शासनादेश के अनुसार शुल्क विषयक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करना
सुनिश्चित करें। एवं वृत्त कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करावे।
- राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड देहरादून को उपरोक्त के अनुषंग
में सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य शिक्षा अधिकारी
मैनीमाल

5. यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0सं0: 11(NP)XXVII/2013-14
दिनांक: 31 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 909 /XXIV-3/13/02(58)2013 तददिनांक.

प्रतिलिपि:—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक), उत्तराखण्ड (द्वारा राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान),
12. शिक्षा अनुभाग-2,3,4 व अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
13. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सि वि दि
26/6

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग- 3

देहरादून: दिनांक ०३ जून, 2013.

विषय: राज्य के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क की दरों का पुनरीक्षण/वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: बेसिक-5/9513/अकादमिक/43(1)2012-13 दिनांक: 14.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 380/XXIV-3/2005 दिनांक: 21.11.2005 द्वारा राज्य के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में कक्षा-6 से 12 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाली शुल्क की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 380/XXIV-3/2005 दिनांक: 21.11.2005 में शुल्क की निर्धारित दरों को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित करते हुए राज्य के शासकीय विद्यालयों में कक्षा: 9 से कक्षा-12 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे शिक्षण शुल्क की दर निम्नांकित तालिका के अनुसार वृद्धि करते हुए अध्ययनरत् विद्यार्थियों से संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क प्राप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

" शिक्षण शुल्क "

वर्ग	कक्षा 9-10		कक्षा 11-12		अन्य विवरण
	वर्तमान शुल्क दर	संशोधित शुल्क दर	वर्तमान शुल्क दर	संशोधित शुल्क दर	
कला एवं वाणिज्य वर्ग	15.00	20.00	20.00	25.00	मासिक
विज्ञान वर्ग	15.00	20.00	25.00	30.00	मासिक

4. उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 21 नवम्बर, 2005 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें/दरें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

कमरा:-2

शासनादेश संख्या: 320/XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005

क्र.सं. 0	शुल्क का नाम	कक्षा 11-12		कक्षा 9-10		कक्षा 7-8		कक्षा 6		अन्य
		वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	वर्तमान शुल्क की दर	संशोधित शुल्क की दर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4-	शिक्षण शुल्क									
	कला एवं साहित्य	20.00	20.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
	विज्ञान वर्ग	25.00	25.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
2-	विलम्ब दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
3-	अनुपस्थित दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
4-	महंगाई शुल्क	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	मासिक
5-	विकास शुल्क	8.00	8.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	मासिक
6-	विज्ञान शुल्क	3.50	4.00	1.50	2.00	-	-	-	-	मासिक
7-	रेडकॉलर	0.15	1.00	0.15	1.00	0.10	1.00	0.10	1.00	मासिक
8-	कीड़ा	0.40	2.00	0.30	2.00	0.20	1.00	0.20	1.00	मासिक
9-	स्काउट गाइड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	मासिक
10-	प्रगति पत्र	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	वार्षिक
11-	पुस्तकालय/ वाचनालय	8.00	10.00	8.00	10.00	4.00	0.00	4.00	0.00	वार्षिक
12-	गृह परीक्षा	8.00	12.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	छमाही
13-	निर्धन छात्र निधि	1.00	3.00	1.00	3.00	0.10	2.00	0.10	2.00	छमाही
14-	जलपान	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	छमाही
15-	अन्य दृश्य	0.10	2.00	0.10	2.00	0.10	1.00	0.10	1.00	छमाही
16-	वाहन शुल्क छात्रों हेतु	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	मासिक
	अध्यापकों हेतु	15.00	50.00	-	-	-	-	-	-	मासिक
17-	विद्युत	1.50	2.00	1.50	2.00	1.50	0.00	1.50	0.00	छमाही
18-	पत्रिका	1.50	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वार्षिक

(राजेश्वर सिंह)
सचिव

Fee Structure

S.No	FEE	Class 11-12	Class 9-10	Class 7-8	Class 6	Class 4-5	Class 3	Class 2	Class 1	Discription
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tution Fee									
	a) Arts/commerce	20.00	15.00	0	0	0	0	0	0	Monthly
	b) Science	25.00	15.00	0	0	0	0	0	0	Monthly
2	Late Fee	0	0	0	0	0	0	0	0	Monthly
3	Absent Fee	0	0	0	0	0	0	0	0	Monthly
4	Dearness Fee	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	Monthly
5	Development Fee	8.00	5.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0	Monthly
6	Science Fee	4.00	2.00	0	0	0	0	0	0	Monthly
7	Red Cross	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	Monthly
8	Games	2.00	2.00	1.00	1.00	0.20	0.10	0.10	0.10	Monthly
9	Scout & Guide	0	0	1.00	1.00	0	0	0	0	Monthly
10	Report Card Fee	1.00	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	Annually
11	Library Fee	10.00	10.00	1.00	0	0	0	0	0	Annually
12	Poor Student A/C	3.00	3.00	2.00	2.00	0	0	0	0	Half Yearly
13	Refreshment	2.00	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	Half Yearly
14	Audio Visual	2.00	2.00	1.00	1.00	0	0	0	0	Half Yearly
15	Vehicle Fee									
	a) For Students	5.00	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	Monthly
	b) For Teachers	50.00	0	0	0	0	0	0	0	Monthly
16	Electricity	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	Half Yearly
17	Magazine Fee	2.00	2.00	0	0	0	0	0	0	Annually

S.No	FEE	Class 11-12	Class 9-10	Class 7-8	Class 6	Class 4-5	Class 3	Class 2	Class 1	Discription
18	Home Exam Fee	12.00	10.00	5.00	5.00	0	0	0	0	Half Yearly